



प्रेस विज्ञप्ति
10.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय-II ने जीपीआईएल द्वारा किए गए बैंक धोखाधड़ी के संबंध में चल रही जाँच के सिलसिले में, मेसर्स गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जीपीआईएल), उससे संबद्ध संस्थाओं तथा उसके प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों से संबंधित पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में स्थित 9 परिसरों पर दिनांक 05.10.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत तलाशी अभियान संचालित किया।

तलाशी के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेजों/उपकरणों/अभिलेखों का पता चला और उन्हें जब्त किया गया। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत जीपीआईएल से संबंधित कुल 139 बैंक खातों तथा जीपीआईएल और उससे संबद्ध व्यक्तियों के नाम पर धारित कई म्यूचुअल फंडों और शेयरों को फ्रीज़ किया गया है। इसके अतिरिक्त, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17(1-क) के तहत 3 उच्च श्रेणी की कारों (2 मर्सिडीज़ और 1 बीएमडब्ल्यू) को भी फ्रीज़ किया गया है। जब्त की गई सामग्री और वित्तीय लेन-देन की विषयवस्तु की वर्तमान में जाँच की जा रही है।

ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की। मेसर्स जीपीआईएल पश्चिम बंगाल में पंजीकृत एक कंपनी है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थित है। देश भर में इसके विनिर्माण संयंत्र हैं, जो केबलों, कंडक्टरों, तारों और संबंधित उत्पादों के विनिर्माण एवं आपूर्ति में संलग्न हैं। कंपनी ने केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से पर्याप्त राशि की निधि-आधारित और गैर-निधि-आधारित कार्यशील पूँजी सुविधाएँ प्राप्त की थीं। बैंकों के इस संघ का कुल ऋण जोखिम लगभग ₹3,590 करोड़ था, जिसमें केनरा बैंक द्वारा स्वीकृत लगभग ₹1,174 करोड़ का ऋण जोखिम शामिल था।

अक्टूबर 2018 से सितंबर 2023 की अवधि के खातों और विभिन्न वित्तीय दस्तावेजों के ईडी द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला कि गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जीपीआईएल) ने कथित तौर पर बैंकों को सूचित किए गए स्टॉक को अपने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए स्टॉक की तुलना में काफी अधिक बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाकर अपनी आहरण क्षमता और ऋण लेने की क्षमता में हेराफेरी की। इसके अतिरिक्त, कार्यशील पूँजी सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए लगभग ₹240-280 करोड़ मूल्य के परियोजना/ईपीसी स्टॉक को पात्र स्टॉक के रूप में शामिल किया गया। इसके अलावा, विवादित और संदिग्ध प्राप्य राशियों, जिनमें राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा अस्वीकृत दावे भी शामिल थे, को लगातार पात्र प्राप्य राशियों के रूप में दर्शाया जाता रहा। वहीं, जीपीआईएल द्वारा सूचित प्राप्य राशियों में लगभग ₹115.15 करोड़ की एक बड़ी विसंगति पाई गई, जो उसकी चालू परिसंपत्तियों को संभावित रूप से बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाए जाने और परिणामस्वरूप ऋण सीमाओं में वृद्धि किए जाने का संकेत देती है।

फोरेंसिक ऑडिट में अचल परिसंपत्तियों के सूचित मूल्य में लगभग ₹211.36 करोड़ से बढ़कर ₹493.39 करोड़ तक की उल्लेखनीय वृद्धि का पता चला, जिसमें लगभग ₹298.98 करोड़ का पुनर्मूल्यांकन भी शामिल है, जबकि इसके समर्थन में कोई मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, जीपीआईएल द्वारा कथित तौर पर अपने वित्तीय वर्ष 2021-22 के तुलन-पत्र में लगभग ₹80 करोड़ की क्रय-बिल बढ़ाकरण सुविधा का खुलासा नहीं किया गया। फोरेंसिक ऑडिट में ऐसे लेन-देन की भी पहचान की गई, जो संबद्ध संस्थाओं को संभावित रूप से निधियों के विपथन (डायवर्जन) का संकेत देते हैं। इसके अलावा, सूचित प्राप्तियों और अंतर्निहित सामग्री की खपत के बीच महत्वपूर्ण विसंगतियाँ तथा सूचित प्राप्य और देय राशियों में उल्लेखनीय वृद्धि भी पाई गई।

कथित तौर पर निधियों को अस्थायी रूप से उधार खातों, विशेष रूप से नकद ऋण खाते, के माध्यम से भी अंतरित किया गया और तिमाही के अंत की तारीखों के आसपास बाद में वहाँ से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया। इससे ऋण की नियमित अदायगी का आभास उत्पन्न हुआ, जबकि वास्तविक वित्तीय स्थिति को छिपाया गया। समग्र रूप से, ये निष्कर्ष प्रथमदृष्टया स्टॉक, प्राप्य राशियों और परिसंपत्तियों के मूल्यों को व्यवस्थित रूप से गलत दर्शाए जाने, उधारियों को छिपाए जाने तथा निधियों के संभावित विपथन और चक्रीय अंतरण का संकेत देते हैं। इसके परिणामस्वरूप, जीपीआईएल अपनी वित्तीय स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने तथा ऐसी बैंकिंग सुविधाएँ प्राप्त करने या उन्हें बनाए रखने में सक्षम हुई, जो उसकी वास्तविक वित्तीय स्थिति के आधार पर संभवतः उचित नहीं ठहराई जा सकती थीं।

आगे की जाँच जारी है।